

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त 2022—भाद्र 1, शक 1944

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022

संशोधन

क्र. एफ-12-25-2017-पच्चीस-2.—विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25 मई 2022 द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए आवास सहायता योजना नियम 2021 की कंडिका 4 को संशोधित कर (1) भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन 05 संभागीय मुख्यालयों में राशि रुपये 2000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, (2) शेष 47 जिला मुख्यालयों पर राशि रुपये 1250/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, (3) विकासखण्ड मुख्यालयों पर राशि रुपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिस्थापित किया जाता है. योजना के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन्द्र राव, अवर सचिव.